File No: 80-2099/87/2022

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 4 /2023/2334538/अस्सी-2-2023
लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल,2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication) पंजीयन के प्रोत्साहन कार्यों हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सख्या-12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 दिनांक-14 दिसम्बर, 2022 द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के जी0आई0 के प्रोत्साहन कार्यों हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

प्रदेश स्तर पर जी0आई0 प्रोत्साहन कार्यो की नियमित प्रगति समीक्षा एवं इस सदंर्भ में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय भौगोलिक उपदर्शन प्रोत्साहन समिति का निम्नवत गठन किया जाता है :-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3.	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5.	सहायक महाप्रबन्धक, एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।	सदस्य
6.	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी।	सदस्य
7.	भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उ0प्र0	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार की जायेगी।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4 /2023/2334538/अस्सी-2-2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त सम्बन्धित सदस्यगण।
4. गार्ड फाइल।

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।